यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय **प्रमुख अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, पौडी** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **प्रमुख अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, पौडी** के माह 01/2017 से माह 12/2018 तक के लेखा अभिलेखों की लेखापरीक्षा श्री विनीत निगम, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री महेश चन्द्र, पर्यवेक्षक द्वारा दिनांक 24.01.2019 से 01.02.2019 तक श्री राज बहादुर, लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग–1

1. **परिचयात्मक**:– इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री सुधीर कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री देवेन्द्र कुमार दिवाकर, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री गौरव पंत, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 02.02.2017 से 06.02.2017 तक श्री दानिश इकबाल, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 04/2013 से माह 12/2016 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 01/2017 से 12/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः– इकाई द्वारा जिला चिकित्सालय में आये जनपद के ग्रामीण एवं शहरी रोगियों को प्राथमिक एवं द्वितीयक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुविधायें प्रदान करना।

   (ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः–

(धनराशि ` लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना			गैर स्थापना		बचत/आधिक्य
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	बचत/आधिक्य	आवंटन	व्यय	
2016-17	0	0	746.90	702.64	44.26	110.00	110.00	0.00
2017-18	0	0	771.44	767.67	3.77	75.00	75.00	0.00
2018-19 (Up to 12/18)	0	0	790.35	619.56	170.79	0.00	0.00	0.00

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः–

(धनराशि ` लाख में)

Year	Name of Schemes	OB	Receipt	Total	Expenditure	CB
2016-17	NHM	21.39	15.48	36.87	31.18	1.00*
2017-18		1.00	1.10	2.10	0.50	1.60
2018-19 (up to 12/2018)		1.60	0.00	1.60	0.00	1.60

*वित्तीय वर्ष 2016–17 में रु0 4.69 लाख मुख्य चिकित्साधिकारी, पौडी को वापस किये गये

(II) इकाई को बजट आबंटन **महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, देहरादून** द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित करते हुए इकाइ ...**ब**....श्रेणी की है।

विभाग का संगठनात्मक ढ़ांचा निम्नवत हैः– **सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ⟶ महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ⟶ निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ⟶ प्रमुख अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, पौडी**

(III)**लेखा परीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः–** लेखापरीक्षा में **प्रमुख अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, पौडी** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक–पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **प्रमुख अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, पौडी** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह **03/2017 एवं 08/2017** को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, चिकित्सा प्रबन्धन समिति से किये सभी व्यय आदि योजना, एवं स्थापना मद आदि का विष्लेषण किया गया। प्रतिचयन योजनान्तर्गत किये गये व्यय के आधार पर किया गया।

(IV) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाए गए नियंत्रक महालेखा परीक्षक के (कर्तव्य,शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम 1971 (डी. पी. सी. एक्ट 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षक विनियम 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार संपादित की गयी।

भाग दो (ब)

प्रस्तरः1 अधिप्राप्ति नियमावली का उलंघन करते हुए धनराशि रु0 4.25 लाख के चिकित्सीय उपकरण का क्रय किया जाना तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत कार्पस फण्ड से बिना कार्ययोजना में सम्मिलित किये गैर अनुमन्य मद पर धनराशि रु0 4.02 लाख के Dental chair का क्रय किया जाना।

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 के नियम 3(10) के अनुसार अधिप्राप्ति हेतु निम्नतर दरों का लाभ प्राप्त करने के लिए यथासाध्य अधिकतम आवश्यक मात्रा की एक साथ समेकित कर अधिप्राप्ति किया जाए। अधिप्राप्ति मूल्य कम करने के लिए आवश्यक मात्रा को विभाजित नहीं किया जाएगा और न ही कुल आवश्यकता के आकलित मूल्य के सन्दर्भ में अपेक्षित उच्चतर प्राधिकारी की संस्वीकृति प्राप्त करने की आवश्यकता से बचने के लिए छोटे छोटे भागों में विभक्त किया जाएगा। नियम 10 के प्रावधानों के अनुसार रु0 25 लाख से कम कीमत की सामग्री की अधिप्राप्ति के लिए व्यापक परिचालन वाले एक राष्ट्रीय समाचार पत्र में विज्ञापन के माध्यम से की जाय। निविदा पृच्छा राज्य सरकार/विभाग के वेबसाइट पर प्रर्शित की जाए तथा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र की वेबसाइट से भी सम्बद्ध होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गम कार्पस फण्ड से रोगियों की सुविधा के लिए सफाई, अनुरक्षण, मरम्मत आदि से सम्बन्धित कार्य कराया जाना प्रावधानित है।

कार्यालय जिला चिकित्सालय, पौडी के लेखापरीक्षा अवधि 01/2017 से 12/2018 की अवधि में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत चिकित्सा उपकरण एवं सामग्री के अधिप्राप्ति से सम्बन्धित अभिलेखों की जॉच में पाया गया कि रु0 7.34 लाख की धनराशि के 02 चिकित्सा उपकरणों की अधिप्राप्ति इकाई द्वारा निविदा आमंत्रित न कर राजकीय संयुक्त चिकित्सालय कोटद्वार में निविदा के माध्यम से क्रय के लिए निर्धारित दरों पर क्रय की गयी है जिसके लिए अधिप्राप्ति नियमावली में इस प्रकार से निर्धारित दरों पर क्रय के लिए कोई प्रावधान वर्णित नहीं है। विवरण निम्नवत् है;

क्र.सं.	देयक संख्या	देयक दिनांक	उपकरण का विवरण	मदों की संख्या	धनराशि
1	3143	20.03.2017	Dental chair complete	01	401625
2	3142	20.03.2017	Microplate elisa reader and printer	01	332535
	Total				**734160**

उपरोक्त क्रम संख्या 01 पर वर्णित Dental chair का क्रय राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत आवंटित धनराशि **कार्पस** फण्ड से किया गया था जबकि दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार **कार्पस** फण्ड से कम मूल्य के सह उपकरण ही क्रय किया जा सकता है। इस प्रकार के बडे उपकरण का क्रय प्रबन्धन समिति

मद में उपलब्ध धनराशि से किया जाना चाहिए था। जॉच में यह भी पाया गया कि **कार्पस** फण्ड से Dental chair क्रय किये जाने के लिए कोई कार्ययोजना नहीं बनायी गयी थी और न ही अनुमोदित की गयी थी।

उपरोक्त के अतिरिक्त धनराशि रु0 4.25 लाख मूल्य के चिकित्सा उपकरण एवं सामग्री क्रय करते समय अधिप्राप्ति नियमावली के उपरोक्त प्रावधानों का पालन न कर अर्थात निविदा के माध्यम से क्रय न कर अधिप्राप्ति सामग्री को टूकडों में विभक्त कर कोटेशन के माध्यम से क्रय किया गया था जबकि संदर्भित सभी अधिप्राप्ति माह फरवरी 2017 एवं जून 2017 के मध्य में सम्पादित की गयी थी। विवरण निम्नवत् है;

क्र.सं.	देयक संख्या	देयक दिनांक	उपकरण का विवरण	मदों की संख्या	धनराशि
1	378	15.02.2017	Lockers, Visitor chair	02, 07	49121
2	399	25.02.2017	Airport sofa	05	48663
3	414	30.03.2017	Steal sofa	01	9732
4	100	26.03.2017	Suction machine, Nemulizer etc	07	46700
5	3144	21.03.2017	Tornado, fibre optic, hot water swich	03	30387
6	105	25.03.2017	Solder wheel, static cycle tyre, IFT wire & electrod, ultrasonic wire	04	15744
7	304	04.04.2017	Double bed	01	13740
8	428	29.06.2017	Inverter	01	26696
9	426	29.06.2017	Computer	01	31132
10	342	30.06.2017	Office mage	01	7443
11	338	30.06.2017	Three seater bench	05	48663
12	388	19.06.2017	Almaree	05	48663
13	336	22.06.2017	Three seater bench	05	48663
	Total				**4,25,347**

लेखापरीक्षा में इस ओर इंगित किये जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में अवगत कराया कि भविष्य में समग्र रुप से सभी आवश्यकता का एक साथ आकलन एवं समेकित करते हुए एवं अधिप्राप्ति नियमावली का पालन करते हुए ही सामग्रियों का क्रय किया जाएगा। **कार्पस** फण्ड से Dental chair क्रय किये जाने के सम्बन्ध में अवगत कराया कि जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित चिकित्सा प्रबन्धन समिति के अनुमोदन के उपरान्त ही क्रय की गयी थी। लेखापरीक्षा को इकाई का उत्तर उचित प्रतीत नहीं होता क्योंकि **कार्पस**

फण्ड से केवल सहः उपकरण एवं छोटे उपकरण ही क्रय किये जा सकते है तथा उसे वार्षिक कार्ययोजना में सम्मिलित किया जाना चाहिए तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही क्रय किया जाना चाहिए था।

अतः अधिप्राप्ति नियमावली का उलंघन करते हुए धनराशि रु0 4.25 लाख के चिकित्सीय उपकरण का क्रय किया जाना तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत **कार्पस** फण्ड से बिना कार्ययोजना में सम्मिलित किये गैर अनुमन्य मद पर धनराशि रु0 4.02 लाख के Dental chair का क्रय किये जाने सम्बन्धी प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो (ब)

प्रस्तरः 2 चिकित्सालय द्वारा औषधि क्रय नीति का उल्लंघन कर धनराशि रु0 23.95 लाख की औषधियों का क्रय किया जाना तथा सभी क्रय की गयी दवाओं का गुणवत्ता जॉच न कराया जाना।

उत्तराखण्ड राज्य हेतु औषधि क्रय नीति के सम्बन्ध में जारी शासनादेश दिनांक 13 जुलाई 2015 के प्रावधानों के अनुसार राजकीय चिकित्सालयों के लिए औषधियों को क्रय करते समय निम्न प्रावधानों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा। 1. औषधियों का क्रय ख्याति प्राप्त औषधि निर्माताओं से ही किया जायेगा, जिसके मूल्यांकन हेतु उनसे सी0 ए0 द्वारा अभिप्रमाणित विगत तीन वित्तीय वर्षो की बैलेंस सीट की टर्न ओवर की प्रतियॉ ली जाए एवं उन्ही फर्मो से दवा की खरीद की जाए जिनका विगत 03 वर्षो का औसत टर्न ओवर कम से कम 70 करोड प्रतिवर्ष होगा, किन्तु रसायन के लिए 20 करोड का टर्नओवर होना चाहिए। 2. नियम 11 के अनुसार प्रत्येक निविदा दात्री फर्म द्वारा आपूर्ति की जाने वाली औषधि उसके निर्माण की तिथि से तीन माह से अधिक पुरानी नहीं होंगी एवं औषधि के प्रत्येक लेबल, कार्टन व अन्य पैकिंग प्रदर्शन पर यू0के0जी0 सप्लाई नाट फार सेल इन्डेलिबल इंग से लिखा जाना अनिवार्य होगा। 3. नियम 18 के अनुसार क्रय की गयी प्रत्येक औषधि के 20 प्रतिशत दवाओं का रेण्डम नमूने लेकर उनका अधिकृत, ख्याति प्राप्त संस्थाओं से विश्लेषण कराया जाएगा ताकि गुणवत्ता सुनिश्चत की जा सके। औषधि के नमूनों की जांच हेतु शासन द्वारा अनुमोदित जांचकर्ता फर्मो के पेनल से इस हेतु निर्धारित की गयी प्रक्रिया के अनुरुप जॉच करायी जाएगी। यह प्रक्रिया क्रय की गयी औषधि के एक से दो माह के भीतर सुनिश्चित की जाएगी।

जिला चिकित्सालय, पौडी के वर्ष 2017 एवं 2018 में क्रय की दवाओं के क्रय से सम्बन्धित अभिलेखों एवं उपलब्ध करायी गयी सूचना की जॉच में पाया गया कि दवाओं का क्रय औषधि क्रय निति के प्रावधानों के अनुसार नहीं की गयी थी और न ही अधिप्राप्ति नियमावली 2017 के प्रावधानों के अनुपालन में अधिप्राप्ति के लिए पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं से सीमित निविदा प्रक्रिया को अपनाकर किया गया था। दवाओं के क्रय के लिए केवल माह अगस्त 2018 में टेण्डर आमंत्रित की गयी थी। लेखापरीक्षा अवधि वर्ष 2017 में रु0 12.65 लाख एवं वर्ष 2018 में रु0 11.30 लाख कुल **धनराशि रु0 23.95 लाख** के दवाओं का क्रय औषधि क्रय निति का पालन न करते हुए चिकित्सालय द्वारा अनियमित रुप से की गयी थी। जॉच में यह भी पाया गया कि क्रय की गयी दवाओं का प्रत्येक बार 20 दवाओं का गुणवत्ता परीक्षण नहीं कराया गया था। केवल माह जनवरी 2018 में 10 प्रकार की दवाओं का गुणवत्ता परीक्षण कराया गया था जिसमें दवाओं की गुणवत्ता सही पायी गयी थी।

लेखापरीक्षा में इस ओर इंगित किये जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में अवगत कराया कि वर्ष 2017–18 में निविदायें प्रकाशित की गयी थी परन्तु कोई निविदा प्राप्त न होने के कारण जनहित में आवश्यक औषधियों

का क्रय किया गया था। यह भी अवगत कराया कि भविष्य में सभी औषधियों की जॉच करवायी जाएगी। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि एक बार निविदा प्रकाशित करने पर कोई निविदा प्राप्त न होने पर पुनः निविदा प्रकाशित की जानी चाहिए थी।

अतः चिकित्सालय द्वारा औषधि क्रय नीति का उल्लंघन कर धनराशि रु0 23.95 लाख की औषधियों का क्रय किया जाना तथा सभी क्रय की गयी दवाओं का गुणवत्ता जॉच न कराये जाने सम्बन्धी प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग दो ब

प्रस्तर 3ः— चिकित्सालय द्वारा सफाई व्यवस्था पर रू 22.72 लाख का अनियमित व्यय करना एवं ठेकेदार को अनुबन्धित राशि से अधिक भुगतान रू 1.84 लाख की वसूली किया जाना।

शासनादेश संख्या 819/xxxiii-5-2011-48/2005/दिनॉक 23 जून 2011 के अनुसार स्पष्ट प्रावधान था कि राजकीय चिकित्सालयों में सफाई व्यवस्था हेतु संविदा की अवधि अधिकतम 2 वर्ष के लिए वैद्य माना जायेगा। अनुबन्ध की शर्त में भी स्पष्ट प्रवधान था कि किसी भी दशा में संविदा की अवधि दो वर्षो से अधिक नही होगी एवं ठेकेदार किसी प्रकार के अन्य भुगतान को पाने के लिए अधिकृत नही होगा। ।

कार्यालय प्रमुख अधीक्षक जिला चिकित्सालाय पौड़ी के सफाई व्यवस्था के टेडर सम्बन्धित अभिलेखों की जाचॅ में पाया गया कि चिकित्सालय द्वारा वर्ष 2015—16 में उक्त कार्य हेतु माह 09/2015 में टेडर आमंत्रित किये गये थे। मैसर्स मोहम्मद अख्तर कुरैशी लोअर बाजार, पौड़ी की दर सर्वाधिक कम होने के कारण अनुबन्ध की धनराशि प्रति वर्ष धनराशि रू 13.20 लाख निर्धारित की गयी। लेखापरीक्षा जाचॅ में पाया गया कि अनुबन्ध की अवधि समाप्त होने के पश्चात भी चिकित्सालय द्वारा वर्ष 2017—18 एवं वर्ष 2018—19 के लिए पूर्व ठेकेदार से ही चिकित्सालय में सफाई इत्यादि का कार्य निष्पादित कराये गये। जिसके लिए वर्ष 2017—18 में रू 14.25 लाख एवं वर्ष 2018—19 (सम्प्रेक्षा अवधि 12/2018 तक) रू 8.47 लाख कुल रू 22.72 लाख का भुगतान किया गया। जो कि शासनादेश की अवहेलना है एवं ठेकेद्वारा को किया गया भुगतान अनियमित है। जबकि शासनादेश एवं अनुबन्ध की शर्त में में स्पष्ट प्रवधान है कि निविदा की अवधि 2 वर्ष से अधिक नही होनी चाहिए। इसके अतरिक्त चिकित्सायल द्वारा ठेकेद्वार को जीएसटी के रूप में अतरिक्त भुगतान वर्ष 2017—18 में रू 1.05 लाख एवं 2018—19 (सम्प्रेक्षा अवधि 12/2018) तक रू 0.79 लाख कुल 1.84 लाख अनुबन्धित राशि अधिक भुगतान किया गया। जबकि अनुबन्ध में स्पष्ट प्रावधान था कि ठेकेदार किसी प्रकार के अन्य भुगतान को पाने के लिऐ अधिकृत नही होगा। इस प्रकार अनुबन्धित राशि से अधिक प्रदान की गयी राशि रू 1.84 लाख ठेकेदार से वसूली किये जाने योग्य है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित करने पर चिकित्सालय ने कहा कि जिलाधिकारी द्वारा चिकित्सा प्रबन्धन समिति के निर्देशानुसार सफाई की व्यवस्था हेतु ई—निविदा के माध्यम से निविदाये आंमत्रित संबधित निर्देश दिये गये थें। किन्तु ई— निविदा हेतु तकनीकी जानकारी प्राप्त न होने एवं औपचारिकतायें पूर्ण न होने के फलस्वरूप निविदायें आंमत्रित नही की जा सकी। जी एस टी के रूप में ठेकेदार अनुबन्धित राशि से अधिक धनराशि का भुगतान करने के सम्बन्ध में दिये जाने के सम्बन्ध में कहा कि वसूली की कार्यवाही ठेकेदार से किया जायेगा।

उत्तर सम्प्रेक्षा को मान्य नही है क्याकि शासनादेश एवं अनुबन्ध में स्पष्ट प्रवधान था कि किसी भी दशा में दो वर्ष से ज्यादा संविदा की अवधि को विस्तारित नही किया जायेगा एवं अनुबन्ध के शर्तो के अनुसार ठेकेदार किसी प्रकार के अन्य भुगतान को पाने के लिये अधिकृत नही होगा।

अतः चिकित्सालय द्वारा सफाई व्यवस्था पर रू 22.72 लाख का अनियमित व्यय करना एवं ठेकेदार को अनुबन्धित राशि से अधिक भुगतान रू 1.84 लाख की वसूली किया जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर:1 शासकीय नियमों का उल्लंघन करते हुए चिकित्सा प्रमाण पत्र शुल्क की ₹ 0.69 लाख की राशि को राजकोष में नहीं जमा किया जाना

उत्तराखंड शासन द्वारा जारी आदेश 972/XXVIII-5-2012-80 दिनांक 18.09.2012 के द्वारा राज्याधीन तथा गैर सरकारी सेवाओं में नियुक्ति हेतु अभ्यर्थियों की मेडिकल बोर्ड तथा विभिन्न स्तर के चिकित्साधिकारियों द्वारा स्वास्थ्य परीक्षा हेतु प्रदत्त प्रमाणपत्र (मय फिटनेस सहित) निर्गत किए जाने हेतु शुल्क पुनरीक्षित किया गया था तथा यह निर्देशित किया गया था कि शुल्क का 50% राजकोष में तथा 50 % संबन्धित (चिकित्साअधिकारी) को दिया जाएगा।

जिला चिकित्सालय पौड़ी के प्राप्ति संबंधी अभिलेखों की जांच में पाया गया कि अप्रैल 2017 से मार्च 2018 तक चिकित्सा प्रमाणपत्र बनवाने से संबन्धित प्राप्त राशि का मात्र 25 % ही राजकोष में जमा किया गया है शेष 75 % चिकित्सा प्रबंधन समिति में जमा कर दिया गया है चिकित्सा प्रबंधन समिति को जमा राशि में से चिकित्सक को प्रमाणपत्र बनवाने के शुल्क का 50% दे दिया गया है तथा शेष 25% चिकित्सा प्रबंधन समिति में ही जमा रहा जिसे कि व्यय कर लिया गया है (विस्तृत विवरण संलग्नक में) उक्त अवधि में चिकित्सा प्रमाण पत्र शुल्क मद में ₹ 2,74,915 की प्राप्ति हुई है जिसमे से ₹1,37457, के स्थान पर ₹68728/ की राशि ही राजकोष में जमा की गई है

इस प्रकार शासकीय नियमो का उल्लंघन करते हुए उपरोक्त अवधि में ₹ 68,729 की राशि शासकीय खाते में कम जमा की गई है, जिससे शासन को राजस्व की हानि हुई है।

इस संबंध में संप्रेक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई ने आपत्ति की पुष्टि करते हुए सूचित किया कि संदर्भित राशि त्रुटिवश शासकीय खाते में जमा नहीं की जा सकी है, जिसे शीघ्र ही चिकित्सा प्रबंधन समिति के खाते से आहरित करके राजकीय कोष में जमा कर दिया जाएगा।

प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

संलग्नक

अप्रैल 2017 से मार्च 2018 के मध्य ऐसी राशि का विवरण जो कि मेडिकल प्रमाणपत्र बनवाने के लिए प्राप्त हुई थी व जिसकी 25% राशि चिकित्सा प्रबंधन समिति के खाते में जमा की गई थी।

अवधि	मेडिकल फीस	राशि जो कि चिकित्सा प्रबंधन समिति के खाते में जमा की गई।
16.03.18 से 30.03.18	7800	1950
28.02.18 से 15.03.18	8700	2175
16.02.18 से 27.02.18	13200	3300
31.01.18 से 15.02.18	17700	4425
16.01.18 से 30.01.18	15450	3862
30.12.17 से 15.01.18	12765	3191
16.12.18 से 29.12.17	13800	3450
01.12.17 से 15.12.17	12300	3075
18.09.17 से 30.09.17	13800	3450
31.08.17 से 16.09.17	16050	4013
16.08.17 से 30.08.17	20100	5025
30.07.17 से 15.08.17	18900	4725
16.07.17 से29.07.17	19950	4988
30.06.17 से 15.07.17	24450	6112
16.06.17 से 29.06.17	15550	3887
31.05.17 से 15.06.17	10650	2663
17.05.17 से 30.05.17	10650	2663
29.04.17 से 16.05.07	12000	3000
17.04.17 से 28.04.17	11100	2775
कुल योग	**274915**	**68729**

भाग–3

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण निम्नवत् है;

प्रति.संख्या	वर्ष	भाग–दो अ प्रस्तर सं0	भाग–दो ब प्रस्तर सं0	**STAN** प्रस्तर सं0
92	2004–05	शून्य	01	01
87ए	2006–07	01, 02	01, 02	01
130	2012–13	01	शून्य	शून्य
149	2016–17	शून्य	01, 02, 03, 04	शून्य

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः–

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अलुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
92 / 2004–05	IIA-Nil IIB-01 STAN-01	लेखापरीक्षा के दौरान लम्बित प्रस्तरों के सम्बन्ध में इकाई कार्यालय में वर्ष 2004–05 एवं 2006–07 के प्रतिवेदन से सम्बन्धित प्रतिवेदन नहीं प्रस्तुत किये गये शेष लम्बित प्रस्तरों के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि अनुपालन आख्या शीघ्र ही तैयार कर उचित माध्यम से प्रधान महालेखाकार कार्यालय को प्रेषित कर दिया जाएगा।		
87ए / 2006–07	IIA-01,02 IIB-01,02 STAN-01			
130 / 2012–13	IIA-01 IIB-Nil STAN-Nil			
149 / 2016–17	IIA-Nil IIB-01,02,03,04 STAN-Nil			

भाग–4

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

शून्य

भाग–5

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधित सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय प्रमुख अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, पौडी** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः–

(अ) **शून्य**

2. सतत अनियमितताएंः–

(अ) **शून्य**

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया

क्रम संख्या	नाम	पदनाम	अवधि
1	डा0 अनिल कुमार	प्रमुख अधीक्षक	01/2017 से 24.04.2018 तक
2	डा0 रमेश सिंह राणा	प्रमुख अधीक्षक	25.04.2018 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय प्रमुख अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, पौडी** को इस आशय से प्रेषित कर दी जाएगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उपमहालेखाकार/सामाजिक क्षेत्र कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून को प्रेषित कर दी जांए।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सामाजिक क्षेत्र